जोधपुर . बुधवार. 15.10.2014

राजस्थान पत्रिका

अभिषेक मनु को 25 करोड़ जमा कराने के आदेश

आयकर का मामला, कांग्रेस प्रवक्ता ने तर्क दिया था- दीमक खा गई सारे कागजात

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को 25 करोड़ रुपए आयकर के रूप में जमा कराने के अंतरिम आदेश दिए हैं। इसी शर्त पर सिंघवी के

विरुद्ध आयकर सेटलमेंट आयोग के तीन वर्षों की आय पर शत प्रतिशत पेनल्टी व विभाग द्वारा अभियोजन की कार्यवाही संबंधी आदेश पर अंतिरिम रोक लगा दी। इसके तहत उन्हें 50 करोड़ से अधिक टेक्स जमा कराना पड़ता। डॉ. सिंघवी की ओर से कमीशन को कहा गया था कि आयकर संबंधी उनके तीन वर्षों के दस्तावेज दीमक के कारण नष्ट हो गए है, इसलिए उनके मामले नियमानुसार निपटाए जाएं।

न्यायाधीश पीके लोहरा ने डॉ. सिंघवी की अधिवक्ता रमित मेहता के माध्यम से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश दिए। साथ ही संबंधित पक्षों से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि सिंघवी के वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2011-12 के वर्षों में आयकर के संबंध में दायर मामले में आयकर सेटलमेंट कमीशन ने गत 11 सितम्बर को आदेश दिया था। याचिकाकर्ता सिंघवी ने आयकर सेटलमेंट के 11 सितम्बर के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

केंद्र व राज्य सरकार से पूछा

बिना पर्यावरणीय मंजूरी कैसे कर दिया हजारों खानों का नवीनीकरण

जोधपुर. हाईकोर्ट ने पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना राज्य में हजारों खानों का दस सालों तक नवीनीकरण करने के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरणीय मंजूरी की अनिवार्यता के आदेश को दरकिनार करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 8 दिसंबर को अपना पक्ष रखने को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश गोविन्द माथुर व न्यायाधीश विजय विश्नोई की खण्डपीठ ने यह आदेश दिनेश बोथरा की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में यह : राज्य सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी के बिना 5 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की खानों के नवीनीकरण पर रोक को बेअसर करने के लिए रियायत नियमावली में संशोधन कर सरकार ने 10 से 100 हैक्टेयर तक के कलस्टर्स बनाकर ऐसी खानों को अगले दस साल के लिए बेहिसाब खनन की मंजूरी दे दी।

उच्च न्यायालय के तल्ख तेवर

कृषि विवि कर्मचारियों को पेंशन की राशि नहीं दी तो वेतन नहीं ले सकेंगे वित्त सचिव

जोधपुर. महाराणा प्रताप कृषि व प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कर्मचारियों की पेंशन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने तल्ख रवैया अपनाते हुए एक माह में विवि को पेंशन राशि नहीं देने पर राज्य के वित्त सचिव का वेतन रोकने की चेतावनी दी है।

विश्वविद्यालय की पेंशनर्स वेलफेयर समिति की ओर से अधिवक्ता वरुण सिंघवी ने रिट याचिका दायर कर कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए विश्वविद्यालय को उचित राशि ग्रांट के रूप में प्रदान की जाए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने राज्य सरकार को 14 अक्टूबर तक की बकाया राशि, जो पेंशन देय है, वह विश्वविद्यालय को प्रदान करने के निर्देश दिए।

आठ करोड़ दिए: उधर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद आठ करोड़ रुपए का भुगतान बतौर ऋण कर दिया है।

राजस्थान पत्रिका

जोधपुर . बुधवार. 15.10.2014